सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 30 माघ, 1947 (श०) / 19 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 135

(1)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	..	..	..	27
(2)	नगर विकास एवं आवास विभाग	..	..	..	36
(3)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	..	..	..	37
(4)	कृषि विभाग	..	..	..	13
(5)	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	..	..	..	14
(6)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	..	..	..	04
(7)	सहकारिता विभाग	..	..	..	04
				कुल योग --	135

भू-खंड का सीमांकन

'क'-*604. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 3452, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 के द्वारा मधुबनी जिला के घोघरडीहा अंचलान्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी में अवस्थित 5 एकड़ 37 डिसमिल का एक ही भू-खंड में जिसका खाता संख्या 361 तथा खेसरा संख्या 583 (पुराना), नया 1125, 597 (पुराना), नया 1127 एवं 598 (पुराना), नया 1126 है के बारे में समाहर्ता मधुबनी को प्रतिवेदित किया था, जिसका सीमांकन कराकर अपने अधिकार क्षेत्र में सरकार के द्वारा आजतक नहीं लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त भू-खंड का कबतक सीमांकन कराकर अपने कब्जा में लेने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना की स्वीकृति

*1559. श्रीमती अश्वमेध देवी (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत समस्तीपुर प्रखंड के कई ग्राम में सात निश्चय योजना के तहत नल-जल की व्यवस्था नहीं रहने के कारण शुद्ध पेयजल का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में नल-जल योजना की विभागीय स्वीकृति प्रदान कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

श्मशान भूमि की घेराबंदी

*1560. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी प्रखंड निगम क्षेत्र में पतौरा में हिन्दू श्मशान की भूमि खाता नं0-02, खेसरा नं0-135 स्थित थाना नं0-197, जमाबंदी नं0-1355 है जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कब्जा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण आमजनों को शव जलाने में परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पतौरा के हिन्दू श्मशान भूमि को कबतक कब्जा मुक्त कराकर घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1561. श्री विशाल कुमार (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बजरिया/छौड़ादानो एवं बनकटवा प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ यूरिया खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण किसानों को अधिक कीमतों पर खाद खरीदनी पड़ती है, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उपरोक्त प्रखंडों में यूरिया खाद की पर्याप्त आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 11 फरवरी, 2026 को सदन द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित ।

मुक्तिधाम का निर्माण

*1562. श्रीमती देवंती यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत नरपतगंज में मुक्तिधाम नहीं होने से वहाँ के निवासियों को अंतिम संस्कार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत नरपतगंज में मुक्तिधाम का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*1563. श्रीमती सोनम रानी (क्षेत्र संख्या-44 त्रिवेणीगंज (अ0जा0))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज विधान सभा क्षेत्र के किसान अधिक मात्रा में फल-सब्जी का उत्पादन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि त्रिवेणीगंज प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज नहीं रहने के कारण किसानों के द्वारा उत्पादित फल-सब्जी सड़ गलकर बर्बाद हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1564. श्री अनिल सिंह (क्षेत्र संख्या-236 हिसुआ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दीदारगंज अंचल के फतेहपुर मौजा में जमीन का खाता संख्या 912 एवं खेसरा संख्या 218 का जमीन रजिस्ट्री 2013 में एवं म्यूटेशन 2016 में हो जाने के पश्चात् Digitalization अबतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर-2 में अंकित है और जमीन का Digitalization हेतु आवेदन देने पर आवेदित भूमि रजिस्टर-2 में अंकित नहीं होने का प्रतिवेदन दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भूमि का Digitalization कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार चालू करना

*1565. मो0 तौसीफ आलम (क्षेत्र संख्या-52 बहादुरगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाच्छ प्रखंड मुख्यालय में स्थित जलमीनार लगभग 10 वर्षों से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनार 10 वर्षों से बंद रहने के कारण टेढ़ागाच्छ मुख्यालय में शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त बंद पड़े जलमीनार को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना राशि को विमुक्त

*1566. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अधीक्षण अभियंता, नगर विकास एवं आवास विभाग, अंचल सारण (छपरा) द्वारा पत्रांक 355, दिनांक 3 सितम्बर, 2025 के माध्यम से गोपालगंज जिलान्तर्गत बरौली नगर परिषद् क्षेत्र में राज्य योजनाओं का प्राक्कलन की तकनीकी अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त भी विभागीय स्तर पर राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण योजनाओं का कार्यान्वयन अबतक नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक योजना राशि को विमुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1567. प्रो0 नागेन्द्र राउत (क्षेत्र संख्या-26 (सुरसंड))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के सुरसंड, चोरौत एवं पुपरी प्रखंड में भू-जल लेवल नीचे चले जाने के कारण पीने योग्य पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंडों में पीने योग्य पानी की समस्या का निदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*1568. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-1 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखंड बगहा-2 स्थित नवरंगीया उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल +2 का भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, परंतु विद्यालय निर्माण के लिए चिह्नित सरकारी भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे क्लास रूम नहीं होने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाइयाँ हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराकर उक्त विद्यालय भवन निर्माण का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि महाविद्यालय खोलना

*1569. श्रीमती बिनिता मेहता (क्षेत्र संख्या-238 गोविन्दपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के कौआकोल प्रखंड क्षेत्र में कृषि पर निर्भर आबादी अधिक होने के बावजूद कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु कोई कृषि महाविद्यालय स्थापित नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कौआकोल प्रखंड में स्थित ऐतिहासिक एवं सामाजिक महत्व वाले जे0पी0 आश्रम के नाम से कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला एवं सड़क का निर्माण

*1570. श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या-68 बरारी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के नगर परिषद्, खगौल के वृदांवन कॉलोनी के रोड नम्बर 3 में नाला एवं सड़क नहीं रहने के कारण आमजनों को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर नाला एवं सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नल-जल योजना चालू कराना

*1571. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखंड के परेवा पंचायत के वार्ड संख्या 04, 05 एवं 12 में मुख्यमंत्री सात निश्चत योजना के तहत नल-जल योजना का कार्य अभीतक पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसके कारण उक्त वार्डों में अबतक सुचारू रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत के संबंधित वार्डों में जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क निर्माण कराना

*1572. डॉ0 रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्मालपुर नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत गया रोड से कर्वल सड़क एवं राजगीर रोड से खनकाह स्कूल होते हुए गया रोड तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण हेतु वर्ष 2024 में निविदा निकाले जाने के पश्चात् अबतक कार्य आरंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल आपूर्ति का विचार

*1573. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनसाही प्रखंड अन्तर्गत चित्तौड़िया पंचायत के सभी वार्ड में नल-जल योजना अन्तर्गत जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे आमजनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नल-जल योजनान्तर्गत जल आपूर्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1574. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-79 गौड़ाबौराम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड अन्तर्गत बौराम पंचायत के बरदाहा गाँव एवं कन्हैई पंचायत के सनकनहैई में सैकड़ों एकड़ सरकारी भू-खंड है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भू-खंड को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*1575. श्री राहुल कुमार (क्षेत्र संख्या-216 जहानाबाद)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर प्रखण्ड के मौजा कोरवाँ थाना नं0 95 के अंतर्गत खाता संख्या 331 खेसरा 1130 गैर-मजरुआ आम जमीन है जिसका किस्म पईन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन पर कुल 16 व्यक्तियों द्वारा पक्का निर्माण किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त गैर-मजरुआ आम भूमि पर जिन लोगों की जमाबंदी कायम है उसे रद्द करते हुये अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना

*1576. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर प्रखंड के पंचायत मिसी घांघ, हरनैया, चिरैयरूपस, मरूआही एवं कालादियारा के वार्ड नं0-05, 06 एवं 07 में नल-जल योजना पूर्णरूपेण बंद है, जिससे हजारों की आबादी पेयजल से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विभागीय जवाबदेही तय करते हुए उक्त वार्डों में जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

*1577. श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी, जिला के बाजपट्टी अंचल अंतर्गत ग्राम-संढवारा, थाना-96 के खाता नं0-671, खेसरा नं0-998, रकबा-64 डी0 बिहार सरकार गैर-मजरुआ आम किस्म जमीन रास्ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी, बाजपट्टी के ज्ञापांक 286, दिनांक 10 अप्रील, 1980 द्वारा उक्त भू-खंड में छः डी0 जमीन, गलत खाता नं0 दर्ज कर राम सागर राय, ग्राम-संढवारा अंचल, बाजपट्टी को बंदोबस्ती कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित जमीन खेसरा सं0 998, रकबा 06 डी0 के बंदोबस्ती को रद्द करते हुये रास्ता के रूप में उपयोग करने देने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण

*1578. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला अंतर्गत सोनपुर एवं दिघवारा प्रखण्ड में स्थित पशु अस्पताल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा अस्पताल में समय से डॉक्टर भी नहीं आते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय भवन का नवनिर्माण कर डॉक्टर की उपस्थिति ससमय कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का जीर्णोद्धार

*1579. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत नगर पंचायत, सुगौली में एन0 एच0 527 डी0 से सुगौली संधि स्थल तक जानेवाली संकीर्ण एवं जर्जर रहने के कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराते हुये जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनाज उपलब्ध कराना

*1580. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर एवं पिपरा प्रखंड में 40 से 50 प्रतिशत आबादी खास कर महादलित तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों का राशन कार्ड अभीतक नहीं बना है, साथ ही जिन्हें राशन कार्ड निर्गत किया गया है उनके कार्ड को विभाग द्वारा सक्रिय नहीं किया गया है, जिसके कारण कार्डधारियों को अनाज का लाभ डीलर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों प्रखंडों में सर्वेक्षण करवाकर सभी गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने तथा प्राप्त कार्डधारियों के कार्ड को सक्रिय करवाकर अनाज उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1581. श्री सतीश कुमार साह (क्षेत्र संख्या-40 लौकहा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बेलाहा से ललमनियाँ 15 कि0मी0 सड़क का निर्माण आधुनिक मशीनों के द्वारा एफ0डी0आर0 टेक्नोलॉजी के तहत कराया जा रहा है जिसका मरम्मती कार्य करना साधारण तरीके से संभव नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क को पी0एच0ई0डी0 विभाग कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर द्वारा जल-नल का कार्य तोड़कर कराया जा रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है कि पी0 एच0 ई0 डी0 कार्य प्रमण्डल, झंझारपुर के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल, फुलपरास से एन0ओ0सी0 अभीतक नहीं प्राप्त किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिना एन0 ओ0 सी0 लिए सड़क को तोड़ने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना

*1582. श्रीमती छोटी कुमारी (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित केरिंगा गौशाला की बहुमूल्य भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा 15 वर्षों से अवैध तरीके से कब्जा किया गया है तथा उक्त भूमि का गैर-कानूनी उपयोग किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार के संज्ञान में यह तथ्य है कि केरिंगा गौशाला की भूमि के सीमांकन, संरक्षण एवं विधिसम्मत् उपयोग के संबंध में बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त गौशाला की भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डेयरी उत्पाद रिटेलर और चिलिंग सेंटर खोलना

*1583. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अंतर्गत दुर्गावती प्रखंड में दूध उत्पाद रिटेलर (डेयरी) नहीं रहने से प्रखंड के पशुपालकों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार दुर्गावती प्रखंड में डेयरी उत्पाद रिटेलर और चिलिंग सेंटर कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*1584. श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी (क्षेत्र संख्या-145 साहेबपुर कमाल)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के इस्लामपुर नगर परिषद् क्षेत्र में जगदम्बा द्वार से टॉन हॉल तक सड़क-सह-नाला निर्माण कार्य कुल प्राक्कलित राशि अंके रु0 1,16,82,933/- (एक करोड़ सोलह लाख बेरासी हजार नौ सौ तैंतीस) रुपये से वित्तीय वर्ष 2025-26 से किया जा रहा है, जिसमें मानक के अनुरूप गिट्टी, बालू एवं सिमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर-प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषी संवेदक एवं पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व कर्मचारी एवं अमीन की पदस्थापना

*1585. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर अंचल के कुल 13 पंचायत में मात्र दो राजस्व कर्मचारी और दो अमीन एवं खरीक अंचल के कुल 13 पंचायत में मात्र चार राजस्व कर्मचारी एवं एक अमीन है, जिससे लोगों को राजस्व सम्बन्धी कार्य कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अंचलों में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी एवं अमीन की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मानदेय लागू करना

*1586. श्री अभिषेक रंजन (क्षेत्र संख्या-07 चनपटिया)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग के निदेशानुसार जिला पदाधिकारी के कमिटी से तीन माह का प्रशिक्षण करा कर पशु मैत्री/टिका कर्मी का बहाली कराया गया है, जो पंचायत के पशुओं का कृत्रिम गर्भधान, गर्भ जांच, प्रसव एवं आपदा के समय पशुओं का बचाव कार्य इत्यादि अबतक करते आ रहे हैं, परन्तु अबतक उक्त कर्मियों का मासिक मानदेय भुगतान लागू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पशु मैत्री/टीका कर्मियों का मासिक मानदेय लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मखाना इकाई का पुनरुद्धार

*1587. श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र संख्या-38 झंझारपुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2008 में मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर में मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गयी थी जिसके संचालन का दायित्व व्यापार मंडल, झंझारपुर को सौंपा गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त इकाई के यंत्रों के रख-रखाव में कमी प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव एवं उत्पाद के विपणन हेतु अतिरिक्त बाजार की व्यवस्था न होने से सुचारू रूप से मखाना प्रसंस्करण इकाई संचालित नहीं हो पा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक झंझारपुर व्यापार मंडल द्वारा संचालित मखाना प्रसंस्करण इकाई का पुनरुद्धार करते हुए पुन: संचालित कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराते हुये सौन्दर्यीकरण कराना

*1588. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, नगर किास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के फारबिसगंज नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत सुल्तान पोखर की भूमि का अतिक्रमण होने के कारण जलाशय का क्षेत्रफल घटता जा रहा है जिससे जल संचयन की क्षमता प्रभावित हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त जलाशय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुये सौन्दर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1589. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ''सामान्य मामलों में एक समान न्याय'' के विरुद्ध अपर समाहर्ता (राजस्व), सीतामढ़ी द्वारा पुनरीक्षण वाद संख्या-40/2025-26 एवं 246/2025-26 में जल्दबाजी से सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है जबकि उपरोक्त भूमि संबंधी मामला मिसलेनियस केस नं0-2/25 ADJ-III, सीतामढ़ी के न्यायालय में लंबित है एवं इसकी जानकारी भी अपर समाहर्ता (राजस्व), सीतामढ़ी को दी गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 सेक्शन 6(12) में स्पष्ट प्रावधान है कि सम्बंधित भूमि का मामला व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है तो दाखिल-खारिज वाद पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस प्रकार के दाखिल-खारिज को रद्द करते हुए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बाजार को शिफ्ट कराना

*1590. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन रोड वार्ड नं0-14 में सब्जी बाजार होने के कारण वहाँ हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आमजनता को आवागमन में परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सब्जी बाजार को शहर के किसी खाली क्षेत्र या नॉन वेंडिग जोन में शिफ्ट कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कर सफाई कराना

*1591. श्री वीरेन्द्र सिंह (क्षेत्र संख्या-234 वजीरगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के मानपुर प्रखंड अन्तर्गत सलेमपुर सिंचाई पईन से मानपुर एवं खिजरसराय प्रखंड के हजारों बिगहा कृषि योग्य भूमि की सिंचाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सलेमपुर सिंचाई पईन को सलेमपुर ग्राम से लेकर गेरे रोड तक स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण सिंचाई कार्य अवरूद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पईन को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुये पईन की सफाई करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय निर्माण कराना

*1592. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट नगर पंचायत क्षेत्र में एक भी सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं है, जिसके कारण उक्त नगर पंचायत क्षेत्र की आबादी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक जोकीहाट नगर पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराना

*1593. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबुबरही)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की योजना कार्यान्वित रहने के बावजूद मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियां प्रखंड में अबतक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं कराया गया है, जबकि उक्त प्रखंड के सिद्यपा पंचायत के वार्ड नं०-06 के गढ़िया गांव में खाता संख्या 857, खेसरा संख्या 6361, रकबा 01 एकड़ 39 डिसमिल भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार लदनियाँ प्रखंड के सिद्यपा पंचायत के उक्त वार्ड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पक्कीकरण

*1594. श्री उदय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-226 शेरघाटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नगर पंचायत बारूण के मोहल्ला छक्कन बिगहा से पटना कनाल नहर मेन रोड तक की सड़क कच्ची रहने के कारण बरसात के दिनों में जल-जमाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे नगरवासियों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का पक्कीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान खरीद का भुगतान

*1595. डॉ० कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला में फंड की कमी की वजह से किसानों से धान खरीद का लक्ष्य कम कर दिया गया है एवं अबतक निर्धारित लक्ष्य का मात्र 58 प्रतिशत ही धान खरीद हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खरीदे गये धान का पैसा समय पर किसानों को नहीं मिलने से उन्हें लगन वाले दिनों में खुले बाजार में औने-पौने मूल्य पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किसानों से धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाते हुये बिके हुये धान का भुगतान किसानों को करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1596. श्री कुंदन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला मुख्यालय, नगर निगम क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट, हर घर नल का जल और भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने का कार्य कार्यकारी एजेंसियों की शिथिलता के कारण कार्य पूर्ण होने की तिथि वर्ष 2024 समाप्ति के पश्चात् भी अबतक कार्य अधूरा पड़ा है, जिससे उक्त योजना के लाभ से क्षेत्र की जनता वंचित हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त योजना को पूर्ण कराते हुये दोषी विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना

*1597. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला के गोरेयाकोठी विधान सभा क्षेत्र कृषिधारित क्षेत्र है, जहाँ कृषि महाविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं रहने के कारण कृषि विज्ञान से पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को शिक्षण एवं किसानों को प्रशिक्षण युक्त खेती में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सीवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखंड अन्तर्गत गोरेयाकोठी पंचायत के ग्राम-गोरेयाकोठी में कृषि विभाग की खाली पड़ी 27 एकड़ से अधिक भूमि पर कृषि महाविद्यालय या कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुधा डेयरी बिक्री केन्द्र खोलना

*1598. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में सात निश्चय-3 के अधीन प्रत्येक पंचायत में जनता के हित के लिये एक सुधा डेयरी ब्रिक्री केन्द्र खोलने की योजना संचालित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के मोरवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मोरवा, ताजपुर और शाहपुर पटोरी प्रखंडों के एक भी पंचायत में यह योजना लागू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में मोरवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सभी पंचायतों में सुधा डेयरी बिक्री स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*1599. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर टाईगर रिजर्व एरिया लगभग दो सौ एकड़ जमीन में फैला हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त टाईगर रिजर्व के वन क्षेत्र की सरकारी स्तर पर पैमाईश नहीं की गई है, तथा इसके जमीन का स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त टाईगर रिजर्व के पूरे वन क्षेत्र का पैमाईश कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1600. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत डेरामारी में एक नये प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है तथा वहां अधिकारियों की पदस्थापना भी हो चुकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में यह चिकित्सालय, पंचायत भवन में अस्थायी रूप से संचालित हो रहा है तथा ग्राम पंचायत द्वारा मौजा मोहरमारी में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त आवंटित भूमि पर पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोल्ड स्टोरेज का निर्माण

*1601. श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-233 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला मुख्यालय विधान सभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आलू, सब्जी, फल एवं अन्य नाशवान कृषि उत्पादों की पैदावार होती है और सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिये उक्त जिला का चयन किया गया है, जिसे यहां के किसान बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि पर्याप्त सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड स्टोरेज में भंडारण सुविधा के अभाव में किसानों को अपनी ऊपज कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किसानों के हित में फल एवं सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन/बढ़ावा देने हेतु औरंगाबाद में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गैस एजेंसी से मुआवजा दिलाना

*1602. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अमौर प्रखंड के धुरपेली पंचायत, वार्ड नं०-17, ग्राम-बलवाटोली सहनगांव में 26 अप्रैल, 2025 को गैस सिलेंडर फटने से चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी, किन्तु गैस एजेंसी द्वारा अस्पताल से सांठ-गांठ कर मेडिकल रिपोर्ट में मृत्यु का कारण ह्रदयगति रूक जाना दिखाया गया जिससे पीड़ित परिवार वालों को गैस एजेंसी की ओर से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पाया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट में चारों लोगों की मृत्यु का कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पीड़ित परिवारों को गैस एजेंसी से मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बनाना

*1603. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में दाल, तिलहन एवं खाद्य तेल जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी खेती के लिये प्रोत्साहित करने की कार्य योजना नहीं रहने से किसान इसकी खेती से विमुक्त हो रहे हैं, जिससे इसके आयात पर निर्भरता बढ़ रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इस दिशा में कार्य योजना बनाकर किसानों को इसकी खेती करने के लिये प्रोत्साहित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एक समान वेतन

*1604. डॉ० प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि समन्वयक और कृषि सलाहकार के कार्यों में एकरूपता रहने के बावजूद उनके वेतन में अंतर रहने से उनमें असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक दोनों कर्मियों की कार्य की एकरूपता के आधार पर वेतन की एकरूपता करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि कब्जा मुक्त कराना

*1605. श्री कौशल किशोर (क्षेत्र संख्या-173 राजगीर (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ अंचल के मौजा-विशकुरवा, हल्का-मुरौरा, थाना नं० 108 में खाता सं० 450, खेसरा सं० 381, रकबा-58 डिसमील भूमि गैर-मजरूआ है, जिसका अंचलाधिकारी ने ग्राम-विशकुरवा के ही निवासी कृष्ण महतो, पिता-स्वर्गीय वासुदेव महतो उर्फ वासो महतो के नाम से जमाबंदी कायम कर दिया गया है तथा इस भूमि पर सार्वजनिक कार्य करने से भी रोक दिया है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमाबंदी रद्दीकरण न्यायालय, अपर समाहर्ता, नालंदा में वाद सं० 83/2025-26 चल रहा है, जो जुलाई, 2025 से दिसंबर 2025 तक नौ तिथि तय की गयी लेकिन अभीतक सुनवाई नहीं हुयी है ?

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त भूमि का जमाबंदी रद्दीकरण कर अवैध कब्जा हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का पुनर्निर्माण

*1606. श्री रोमित कुमार (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अतरी विधान सभा क्षेत्र के अरई पंचायत में स्थित सरकारी पशुपालन अस्पताल जो आस-पास के 20 कि0मी0 में अकेला पशु अस्पताल है एवं उक्त अस्पताल का भवन जीर्णशीर्ण है, जिसके कारण अस्पताल वर्तमान में निजी मकान में संचालित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त अस्पताल के भवन का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधाएँ उपलब्ध करना

*1607. श्री जितेंद्र कुमार (क्षेत्र संख्या-171 अस्थावाँ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड के प्रणावाँ गाँव में प्रत्येक दो वर्षों पर लगने वाले मेला ''महतो साहेब'' को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महतो साहेब का मेला राजकीय मेला घोषित होने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजकीय मेला के मापदंडों के अनुकूल सभी सुविधाएँ महतो साहेब मेला को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति उपलब्ध कराना

*1608. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के रफीगंज नगर पंचायत क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा तीन जोन में विभक्त करते हुए जोन 1, जोन 2 एवं जोन 3 के माध्यम से 16 वार्डों में जलापूर्ति हेतु निविदा प्रक्रिया के पश्चात् कार्य प्रारंभ करने का आदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि जोन 1 एवं जोन 2 के तहत आने वाले वार्डों में प्रावधानित कार्य में से अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, परंतु जोन 3 के अंतर्गत आने वाले कुल 8 वार्डों में जलापूर्ति कार्य वर्तमान समय तक प्रारंभ नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जलापूर्ति हेतु जोन 3 के प्रावधानिक कार्यों को कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

*1609. श्री राणा रणधीर (क्षेत्र संख्या-18 मधुबन)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मौजा-फुरसतपुर, थाना सं0 208 में अर्जित कुल 103.3 एकड़ भूमि को पंचाट घोषित किए बिना तथा प्रभावित भू-स्वामियों को मुआवजा भुगतान किए बिना दिनांक 27 नवम्बर, 2019 को विश्वविद्यालय प्रशासन को जमीन दे दिया गया, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमि को विधिवत पंचाट घोषित कर प्रभावित भू-स्वामियों को नियमानुसार मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का पी0सी0सी0 कराना

*1610. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नगर पंचायत काराकाट (गोड़ारी) के वार्ड नं0 02 में करूप से चौंदी सड़क होते हुए श्मशान घाट तक जाने वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के कारण आमजनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क को पी0सी0सी0 कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*1611. श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र संख्या-134 उजियारपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के घोघरडीहा अंचलान्तर्गत ग्राम पंचायत राज बसुआरी के पिपरा कमलपुर गाँव में खेसरा संख्या 180 पर पंचायत के द्वारा सरकारी शौचालय के निर्माणार्थ उपलब्ध भूमि पर अनधिकृत रूप से दबंग व्यक्ति द्वारा घर बना लिया गया है, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, घोघरडीहा द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए ज्ञापांक सं0 312, दिनांक 5 अगस्त, 2024 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है, परंतु अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जमीन पर अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बजट में वृद्धि

*1612. श्री रूहेल रंजन (क्षेत्र संख्या-174 इस्लामपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर नगर परिषद् तथा एकंगरसराय नगर पंचायत का वर्तमान वार्षिक बजट क्रमशः 85 करोड़ (50000 जनसंख्या) एवं 13 करोड़ (26000 जनसंख्या) है, जो योजना को क्रियान्वित करने का लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नगर निकायों के बजट में वृद्धि करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनर्वासित करना

*1613. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला में तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत निपनियां मधुरापुर गुप्ता बांध पर वर्ष 1995 से विस्थापित लगभग 200 अनुसूचित जाति के परिवार झोपड़ी बनाकर गुजर-बसर करने के लिये मजबूर हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विस्थापित परिवारों को जमीन उपलब्ध कराकर पुनर्वासित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पदों को भरना

*1614. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत अंचल पकरीबरावाँ में (16) हल्का में मात्र (7) सात राजस्व कर्मचारी एवं (3) अंचल अमीन ही पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन की संख्या कार्यभार के अनुपात में कम रहने से जमीन से संबंधित समस्याओं जैसे दाखिल-खारिज एवं भू मापी करवाने में वहाँ के नागरिकों को परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त अंचल में कबतक राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रेकॉर्ड रूम खोलना

*1615. श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-17 पिपरा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत बेतिया राज के द्वारा जितने भी लोगों के नाम से भूमि बंदोबस्त अथवा नीलामी की गई, वो सभी कागजात बेतिया राज के रिकॉर्ड रूम में जमा है एवं 5 माह से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूमि सर्वे के दौरान भारी संख्या में लोगों के पास जमीन का कागजात नहीं रहने एवं रेकॉर्ड रूम बंद होने से उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बेतिया राज का रेकॉर्ड रूम कबतक खुलवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*1616. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरंभगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत पिलखवाड़ा बिशनपुर वार्ड सं0 12 ईदगाह के सामने खिरमा एवं सिंघवाड़ा प्रखंड के सिमरी, माधोपुर में अबतक उक्त अभियान का शुरूआत नहीं किया गया हैं, जिस कारण भू-माफियाओं के द्वारा सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि (जैसे रास्ते, जल निकासी स्त्रोत) का अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार केवटी एवं सिंघवाड़ा प्रखंड अंतर्गत अतिक्रमण किए गए भूमि को चिन्हित कर कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना में सम्मिलित करना

*1617. श्री गौतम कृष्ण (क्षेत्र संख्या-77 महिषी)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025 में मोंथा चक्रवात के साथ-साथ कोसी नदी की बाढ़ से अन्य जिलों की तुलना में सहरसा जिला अत्यधिक प्रभावित रहा है, फिर भी उक्त जिला को अबतक कृषि इनपुट अनुदान योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सहरसा जिला को कृषि इनपुट अनुदान योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत बनाना

*1618. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि (बारह हज़ार) 12000 की आबादी वाले राजस्व ग्राम को नगर पंचायत बनाने का राज्य सरकार ने मानक निर्धारित किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला के प्रखंड मुख्यालय गुरूआ, गुरारू एवं परैया राजस्व ग्राम की आबादी 12000 (बारह हजार) से अधिक है, जो नगर पंचायत बनने की सभी मानक को पूरा करता है, जिसे अभी तक नगर पंचायत नहीं बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जनहित में गयाजी जिला के उक्त राजस्व ग्राम को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नलकूप चालू कराना

*1619. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत प्रखंड कुचायकोट के ग्राम पंचायत बनकटा में विगत आठ वर्षों से नलकूप बंद पड़ा है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में बंद नलकूप को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन की मरम्मती

*1620. श्री आसिफ अहमद (क्षेत्र संख्या-35 बिस्फी)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंडान्तर्गत संचालित पशु अस्पताल के भवन की स्थिति जर्जर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक, पशु दवा, उपकरण की कमी के कारण पशुपालकों को कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वर्णित जर्जर पशु अस्पताल के भवन की मरम्मती कराते हुए पशु के इलाज हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद एवं बीज की आपूर्ति

*1621. श्री शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-97 पारू)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पारू विधान सभा क्षेत्र के किसानों को रबी एवं खरीफ मौसम के दौरान समय पर रासायनिक खाद एवं बीज सरकारी दर पर उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके कारण किसानों को मजबूरन निजी दुकानों से ऊँचे दामों (कालाबाजारी) पर खाद-बीज खरीदना पड़ता है, जिससे उनकी खेती की लागत बढ़ जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पारू विधान सभा क्षेत्र में खाद और बीज की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुये निर्धारित सरकारी मूल्य पर खाद एवं बीज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

"पिंक टॉयलेट" का निर्माण

*1622. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी भागलपुर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों जैसे सुजागंज, वैरायटी चौक सहित अन्य बाजार क्षेत्र में आज भी महिलाओं हेतु "पिंक टॉयलेट" तथा सामान्य सार्वजनिक शौचालय नहीं रहने के कारण इन अत्यधिक व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रतिदिन आने वाली हजारों महिलाओं, नागरिकों एवं व्यापारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उपर्युक्त स्थल पर महिलाओं हेतु "पिंक टॉयलेट" तथा सामान्य सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिस्कोमान भवन को चालू कराना

*1623. श्रीमती कविता देवी (क्षेत्र संख्या-69 कोढ़ा (अ०जा०))--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत फलका प्रखण्ड के पोठिया बाजार में बिस्कोमान भवन को वर्ष 2024 में बंद कर दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों के हित में उक्त बिस्कोमान भवन को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलमीनार का निर्माण

*1624. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड रूपौली के पंचायत गोड़ियर पट्टी श्रीमाता, कॉप, लक्ष्मीपुर, छर्रापट्टी में बहु ग्रामीण जलापूर्ति के तहत प्रत्येक वार्ड में हर घर नल का जल के लिये मिनी जलमीनार का निर्माण नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्ड में डब्लयू०एल०एस० के तहत जलमीनार का निर्माण हो जाने से आमजनों को आयरण युक्त जल से निजात मिलेगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत के सभी वार्ड में मिनी जलमीनार का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिरोधक टीकाकरण

*1625. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) रूल्स, 2023 के अनुसार आवारा कुत्तों का रेबीज प्रतिरोधक टीकाकरण किया जाना आवश्यक है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी नगर निकायों द्वारा आवारा कुत्तों के टीकाकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों में कुत्तों के काटने से रेबीज होने का खतरा व्याप्त रहता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक आवारा कुत्तों का रेबीज प्रतिरोधक टीकाकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच एवं दोषी पर कार्रवाई

*1626. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ०जा०))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखण्ड में जन-वितरण प्रणाली के दुकानदारों की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु सरकार द्वारा 2011 की जनसंख्या का मानक निर्धारित किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बनमनखी प्रखण्ड के विभागीय पदाधिकारी द्वारा उक्त सरकारी मानक का अवहेलना करते हुये पंचायत वार जनसंख्या कम दर्शा कर जन-वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति मानक से कम निर्गत करने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को सरकारी योजना के लाभ से वंचित रखा गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बनमनखी प्रखण्ड में विभागीय अधिकारी द्वारा सरकारी मानक की अवहेलना करते हुये कम अनुज्ञप्ति जारी करने की उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसीद कटवाने की व्यवस्था

*1627. श्री बाबूलाल शौर्य (क्षेत्र संख्या-151 परबत्ता)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि परबत्ता विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2016 से गैर-मजरुआ आम एवं टोपोलैंड के जमीन की रसीद नहीं काटी जा रही है, जिस कारण से संबंधित किसानों को PM किसान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाती है तथा जरूरत के समय जमीन की बिक्री भी नहीं कर पाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक परबत्ता विधान सभा क्षेत्र में गैर-मजरुआ आम एवं टोपोलैंड के जमीन की रसीद कटवाने की व्यवस्था करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल टैंक निर्माण

*1628. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड में बनने वाले दुनियाँ के सबसे बड़ें मंदिर विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना दिनांक 17 जनवरी, 2026 को हो जाने से प्रतिदिन श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की भारी भीड़ हो रही है तथा उक्त स्थान पर पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वहां आनेवाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर 2 लाख गैलन क्षमता का RCC Over Head Tank बनाकर शुद्ध पेयजल आपूर्ति का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान कराना

*1629. श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-177 हरनौत)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्य प्रमण्डल, हिलसा, के प्रखण्ड चण्डी एवं नगरनौसा तथा बिहारशरीफ कार्य प्रमंडल के अन्तर्गत हरनौत के पम्प चालक कई वर्षों से निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जबकि प्रखण्ड चण्डी, नगरनौसा एवं हरनौत के पम्प चालकों का विगत 3 वर्षों से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित प्रखंडों के पम्प चालकों का वेतन भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण

*1630. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या-155 कहलगांव)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत कहलगांव नगर पंचायत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, औद्योगिक और धार्मिक केन्द्र है, जहां उत्तरवाहिनी गंगा होने के कारण शवदाह हेतु दूर-दूर से लोग आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि कहलगांव में वर्तमान में एक भी आधुनिक विद्युत् शवदाह गृह (इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम) नहीं है, जिसके कारण अन्त्येष्टि के लिये आनेवाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुये कहलगांव में एक आधुनिक विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-जमाव से निजात दिलाना

*1631. श्री ललित नारायण मंडल (क्षेत्र संख्या-157 सुलतानगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत नगर परिषद्, सुलतानगंज के वार्ड नं० 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 एवं 28 में हमेशा जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण आम नगरिकों को असुविधा होती है तथा लगभग ढ़ाई सौ एकड़ जमीन परती रह जाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों को जल-जमाव से निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रसीद कटवाना

*1632. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहां विधान सभा क्षेत्र के रजवाड़ा पंचायत के पासवान टोला के पर्चाधारियों की रसीद कटना पिछले तीन वर्षों से बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पर्चाधारियों की रसीद कटवाने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लक्ष्य अनुरूप धान की खरीद

*1633. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत किसानों से धान खरीद का लक्ष्य वर्ष 2025-26 में 54,767 MT के विरुद्ध जनवरी, 2026 तक मात्र 29.781 MT धान ही खरीदा गया है साथ ही यही अनुपात पूरे बिहार का भी है, जिससे किसानों को औने-पौने दाम पर बाजार में धान बेचना पड़ रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा लक्ष्य के 60% कैश क्रेडिट पैक्स को उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंको को निदेश है, परन्तु गोपालगंज सहकारी बैंक द्वारा एकमुश्त 60% कैश क्रेडिट नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक धान खरीद में बाधक बनने वाले को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुये शत-प्रतिशत धान खरीद कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुधार कर अधिसूचना निर्गत करना

*1634. श्री सुजीत कुमार (क्षेत्र संख्या-37 राजनगर (अ०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत राजनगर अंचल के राजस्व ग्राम बेराघाट एवं सुगौना की बंजर एवं खण्डहर प्रकृति की सैकड़ों एकड़ भूमि को विभागीय भूलवश घरारी सीट में दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण संबंधित भूमि के क्रेता एवं विक्रेताओं को जमीन की खरीद-बिक्री, निबंधन एवं दाखिल-खारिज में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार आम जनमानस के हित में कबतक उक्त भूमि का पुन: सर्वेक्षण कराकर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार कर गजट अधिसूचना निर्गत करने पर विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित करना

*1635. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभुतिपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 29 पंचायत है, जिसमें सिर्फ 16 पंचायतों में राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसके कारण कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार है, जिससे लोगों को भूमि से संबंधित कार्यों का निपटारा कराने में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेष 13 पंचायतों में राजस्व कर्मचारियों को पदस्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य पालन हेतु तालाबों का निर्माण

*1636. श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या-243 चकाई)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई के पंचायत पेटारपहड़ी एवं पंचायत फरियताडीह में मत्स्य पालन हेतु तालाब नहीं रहने से वहां के अनु० जाति एवं अनु०जन-जाति के किसानों को जीविकोपार्जन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक किसानों के हित में उक्त दोनों वर्णित पंचायत में मत्स्य पालन हेतु तालाबों का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नलकूपों को क्रियाशील करना

*1637. श्री मौशरीक मृणाल (क्षेत्र संख्या-132 वारिसनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के सभी प्रखंडों में वर्ष 2004 में नाबार्ड योजना के तहत खेतों में सिंचाई हेतु 102 नलकूप लगाये गये थे ;

(2) क्या यह बात सही है कि इनमें से बावन नलकूप शिवाजीनगर एवं रोसड़ा प्रखण्ड में लगाये गये थे तथा अब इसमें से अधिकांश नलकूप क्रियाशील नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक किसानों के खेतों में सिंचाई की सुव्यवस्था कराने के लिये इन सभी नलकूपों को क्रियाशील कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महालेखाकार से ऑडिट कराना

*1638. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी, पटना का ऑडिट महालेखाकार से नहीं कराकर निजी एजेंसियों से कराया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बिहार लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी, पटना का ऑडिट महालेखाकार से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खेल का मैदान बनाना

*1639. श्रीमती विभा देवी (क्षेत्र संख्या-237 नवादा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड नवादा के ग्राम-घंघौली, मौजा घंघौली, खाता सं० 194 में बिहार सरकार का करीब 60 एकड़ से ज्यादा भूमि है, जिस पर भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमि पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हटाते हुए उक्त सरकारी भूमि पर खेल का मैदान बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

*1640. श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र संख्या-62 पूर्णियाँ)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के पूर्णियाँ विधान सभा क्षेत्र में ईस्ट ब्लॉक अंतर्गत सब्जी की खेती बहुतायत होती है जहाँ सब्जी उत्पादन करने वाले किसान कोल्ड स्टोरेज के अभाव में अपने उत्पादन को औने-पौने दामों में असमय बेचने को विवश हैं, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति होती है, यदि हाँ, तो सरकार किसानों के हित में पूर्णियाँ ईस्ट ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ब्रह्म कुंड तालाब का जीर्णोद्धार

*1641., श्रीमती मनोरमा देवी (क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला अन्तर्गत नगर प्रखंड के कोरमा प्रेतशिला पर्वत पर अवस्थित ब्रह्म कुंड तालाब है, जहाँ प्रतिवर्ष देश-विदेश से पिंडदान एवं तर्पण करने लाखों लोग आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि ब्रह्म कुंड तालाब में कूड़ा-कचरा एवं गाद जमाव होने से पानी दूषित हो गई है, जिससे श्रद्धालुओं को तालाब में स्नान तर्पण करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक तालाब का जीर्णोद्धार सहित पानी सफाई यंत्र की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच एवं कार्रवाई करना

*1642. श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र संख्या-25 परिहार)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बाजार सैरात (हाट/पशु बाजार) की बंदोबस्ती हेतु डाक में भाग लेने के लिए कुल बंदोबस्ती राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा करने का प्रावधान है, जिसे अंचल स्तर पर नाजिर रसीद के माध्यम से लिया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार अंचल अन्तर्गत भिसवा पशु बाजार, सैरात की बंदोबस्ती दिनांक 26 मार्च, 2025 को की गई थी, जिसमें जमानत राशि जमा किए बिना ही श्री देवेन्द्र चौधरी को अंचल अधिकारी, परिहार द्वारा डाक में भाग लेने की अनुमति दी गई तथा बाजार की बंदोबस्ती भी उन्हीं के पक्ष में कर दी गई थी ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक सीतामढ़ी जिला के तत्कालीन परिहार अंचल अधिकारी के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की जाँच एवं कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति कराना

*1643. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के अथमलगोला प्रखंड में कल्याणपुर पंचायत के कल्याणपुर ग्राम में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति नहीं होती है तथा पुरानी पाइप लाइनों से पानी का रिसाव और कमजोर वितरण नेटवर्क से पानी बर्बादी होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्राम में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध जाँच

*1644. श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र संख्या-120 अमनौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मढ़ौरा अनुमंडल पदाधिकारी ने मधु कुमारी, पति-श्री अर्जुन सिंह ग्राम-बिशुनपुर निषक, अंचल-अमनौर के द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि संपरिवर्तन का आवेदन प्राप्ति के आलोक में पत्रांक 2443, दिनांक 11 सितम्बर, 2025 के द्वारा अंचलाधिकारी अमनौर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारी अमनौर द्वारा आज तक जाँच प्रतिवेदन नहीं दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विकास एवं रोजगार सृजन में बाधक दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध उच्चस्तरीय जाँच कराकर दण्डित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगाने

*1645. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 बिक्रम)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के फुलवारी प्रखंड के वार्ड संख्या 11 के हरनीचक मोहल्ला में श्री उमेश प्रसाद के घर से श्री संजय कुमार के घर तक जाने वाली सड़क में स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण शाम होते वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाता है, जिससे आम लोगों को खासकर महिलाओं को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गली में स्थापित सभी बिजली के पोलों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल निकासी करना

*1646. श्री विशाल कुमार (क्षेत्र संख्या-12 नरकटिया)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में चैलाहा गुमटी से जानपुर चौक तक बराबर जल-जमाव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण आमजनों को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल पर आर०सी०सी० नाला का निर्माण कराकर जल निकासी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1647. श्रीमती देवंती यादव (क्षेत्र संख्या-46 नरपतगंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के नरपतगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नरपतगंज नगर पंचायत का गठन विगत चार वर्ष पूर्व किये जाने के बावजूद अबतक नगर पंचायत कार्यालय भवन का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे विकास कार्य अवरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नगर पंचायत के कार्यालय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्युत् शवदाह गृह बनाना

*1648. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय (2) योजना के तहत नगर परिषद्, बरौली, गोपालगंज में 5.80 करोड़ की लागत से विद्युत् शवदाह गृह/मोक्षधाम के निर्माण हेतु बुडको, पटना ने दिनांक 21 मई, 2025 को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु परियोजना निदेशक बुडको सिवान को पत्र लिखा था जो अबतक लंबित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्युत् शवदाह गृह का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन निर्माण कराना

*1649. प्रो० नागेन्द्र राउत (क्षेत्र संख्या-26 सुरसंड)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के नगर परिषद् जनकपुर (पुपरी) और नगर पंचायत सुरसंड में सम्राट अशोक भवन नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार भूमि अधिग्रहण कर उक्त स्थान पर कबतक सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1650. श्री सुरेंद्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-01 वाल्मीकिनगर)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला के प्रखंड मधुबनी के पंचायत मधुबनी के गाँव मधुबनी में हर घर नल का जल योजना अन्तर्गत कार्य कराया गया है, परंतु कई घरों जबकि गाँव मधुबनी के घरों में पाइप और नल रहने के बावजूद पानी सप्लाई बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँव में वंचित घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु

*1651. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-20 चिरैया)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत चिरैया प्रखंड के कपूर पकड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 04, 05, 12, 13 एवं 14 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल योजना का कार्य अभीतक पूर्ण नहीं कराया गया है, जिसके कारण उक्त वार्डों में अबतक सुचारु रूप से जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पंचायत के संबंधित वार्डों में कबतक जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़कों का निर्माण

*1652. डॉ० रामानन्द यादव (क्षेत्र संख्या-185 फतुहा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के इस्लामपुर नगर परिषद्

क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड संख्या 11 उत्तरी पटेल नगर में अनूप कुमार के घर से चलितर रजक के घर होते हुए रामजी मयूरी के घर तक तथा वार्ड नं० 14 के मोहल्ला राणाप्रताप नगर में स्व० लखन केशरी के घर से कृष्णा चाय दुकान तक आर०सी०सी० नाला सहित पी०सी०सी० सड़क निर्माण की निविदा पिछले वित्तीय वर्ष में निकाली गयी थी, परन्तु अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों सड़कों का निर्माण कार्य कबतक प्रारंभ कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमणमुक्त करना

*1653. श्री मनोहर प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-67 मनिहारी (अ०ज०जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत बौलिया दियारा के कटाव से विस्थापित 70-80 परिवार बौलिया में आवासित हैं, लेकिन इनके सरकारी रास्ते को उसी गाँव के मिस्टर और सलीम द्वारा अवरुद्ध किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इन परिवारों के रास्ते को अतिक्रमणमुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट लगाना

*1654. श्री अरूण कुमार (क्षेत्र संख्या-180 बख्तियारपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत खुसरूपुर एवं बख्तियारपुर प्रखंड में पर्याप्त मात्रा में स्ट्रीट लाइट नहीं रहने के कारण आमजनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में 16 मीटर हाई मास्ट (एसी० स्ट्रीट लाइट 200 वाट) लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*1655. श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एन०एच० 19 फोरलेन निर्माण हेतु सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के रामपुर आमी मौजा के खाता सं० 170 खेसरा सं० 695 भूमि का अधिग्रहण आठ वर्ष पूर्व किया गया तथा भूस्वामी को मुआवजा भुगतान हेतु नियमानुसार तीन नोटिस प्राप्त कराये बगैर कार्यालय अभिलेख में नोटिस प्राप्त कराये जाने की गलत सूचना दर्ज कर मुआवजा राशि को जिला भू-अर्जन कार्यालय, सारण के पत्रांक 673, दिनांक 05 मार्च, 2020 द्वारा सक्षम न्यायालय में जमा कर दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि भूस्वामियों से प्राप्त अभिश्रव के आलोक में भू-अर्जन कार्यालय सारण द्वारा मात्र एक बार पत्रांक 1487/भू०अ०, दिनांक 17 जून, 2020 द्वारा मुआवजा राशि वापस करने हेतु सक्षम न्यायालय से अनुरोध किया गया परन्तु अबतक राशि वापस नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*1656. श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र संख्या-11 सुगौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत नगर पंचायत सुगौली में सुगौली सँधि चौक (पकड़ी) से वार्ड नं० 15 कानू टोला, वार्ड नं० 17, वार्ड नं० 06 नयका टोला होते हुए एन०एच० 727 डी० रेलवे गुमटी तक जाने वाली 1 कि०मी० लम्बी सड़क की स्थिति जर्जर रहने के कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क का निर्माण

*1657. श्री रामविलास कामत (क्षेत्र संख्या-42 पिपरा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत किशनपुर प्रखंड में तथा नगर पंचायत पिपरा के क्षेत्राधीन एक भी पार्क नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि-पार्क नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को मोर्निंग वॉक, योगा आदि की सुविधा से वंचित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनपुर प्रखंड तथा नगर पंचायत पिपरा के अंतर्गत पार्क बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मछली मंडी का निर्माण

*1658. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखंड के दुर्गावती बाजार में मछली मंडी नहीं होने से मछली पालकों को मछली बेचने में बहुत कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार दुर्गावती बाजार में कबतक मछली मंडी का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा दिलाना

*1659. श्री कुमार शैलेन्द्र (क्षेत्र संख्या-152 बिहपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहपुर विधान सभा (भागलपुर) अन्तर्गत बिहपुर अंचल के हरिओ निवासी श्रीमती गिरिजा देवी, पति-सत्यनारायण पासवान सहित दर्जनों किसानों का जमीन कोसी नदी पर बन रहे पुल के लिये 2023 में ही अधिग्रहण किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त किसानों को अंचल कार्यालय की लापरवाही के कारण सरकार से अभीतक मुआवजा नहीं मिल पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त किसानों को मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जल-नल योजना के क्रियान्वयन

*1660. श्री मनोज विश्वास (क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित जल-नल योजना का कार्य कई पंचायतों/गांवों में कागजों में पूर्ण दिखाया जा रहा है, परंतु अनेक स्थानों पर पाइप लाइन बिछाने, जल टंकी निर्माण एवं नल कनेक्शन का कार्य अधूरा है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि योजना का क्रियान्वयन में लापरवाही, गुणवत्ता में कमी एवं अनियमितता के कारण जनता को परेशानी हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जल-नल योजना की उच्चस्तरीय जाँच एवं दोषी एजेंसियों/ठेकेदारों पर कार्रवाई तथा कार्य को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजकीय मेला का दर्जा देना

*1661. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत चंदौर पंचायत में लगने वाली वर्षों पुरानी जय माँ सरस्वती मेला सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, परन्तु इसे राजकीय मेला का दर्जा नहीं मिल पाया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विभागीय स्वीकृति

*1662. श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र संख्या-34 बाबूबरही)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अंतर्गत बाबूबरही विधान सभा के बाबूबरही प्रखण्ड के बसहा ग्राम अधीन वार्ड संख्या 10 और 11 में सात निश्चय योजना के तहत नल-जल की व्यवस्था नहीं रहने के कारण शुद्ध पेयजल का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्डों में ग्रामीणों के शिकायत के बाद बी०डी०ओ०, सी०ओ० और पी०एच०ई०डी० पदाधिकारियों ने स्थल का भौतिक निरीक्षण किया, जिसमें पता चला की उक्त वार्डों में नल-जल योजना की विभागीय स्वीकृति ही नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वार्डों में नल-जल योजना की विभागीय स्वीकृति कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल की आपूर्ति

*1663. डॉ० कुमार पुष्पंजय (क्षेत्र संख्या-170 बरबीघा)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के शेखपुरा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कारे के ग्राम-कारे में पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुये लोगों तक पेयजल की आपूर्ति हेतु पूर्व में की गयी बोरिंग एवं बिछायी गई पाइप लाइन निष्क्रिय होने से पेयजल का घोर संकट है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पहाड़ी गाँव कारे में आधुनिक डीप बोरिंग कर लोगों तक पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक पार्किंग बनाना

*1664. श्री कुदंन कुमार (क्षेत्र संख्या-146 बेगूसराय)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना एवं बेगूसराय जिला सहित बिहार के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे हैं, जिसके कारण ग्राहक अपने वाहन सड़क पर खड़े करते हैं जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बिहार के शहरी क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु भविष्य में खुलने वाले किसी भी नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए पार्किंग की उपलब्धता को अनिवार्य शर्त बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बंद चापाकल चालू कराना

*1665. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सिवान जिला के गोरेयाकोठी प्रखण्ड में 25 एवं लकड़ी नबीगंज प्रखंड में 29 सार्वजनिक स्थलों यथा सरकारी स्कूल, मंदिर, चौक-चौराहा,

हाट-बजारों में सरकारी चापाकल डिफेक्ट/खराब बंद पड़े हैं, जिससे आमजनों को शुद्ध पेयजल मिलने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंडों में बंद पड़े सभी चापाकलों को यथाशीघ्र चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*1666. श्री रणविजय साहू (क्षेत्र संख्या-135 मोरवा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत पूरे बाजार में नाला का अधूरा निर्माण कर उसे फल मंडी के निकट खुला छोड़ दिया गया जिसके कारण नाला का गंदा पानी आस-पास के आवासीय परिसर में फैल जाता है, जिससे उक्त क्षेत्र की जनता को कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार जनहित में उपरोक्त नाला का निर्माण जमुआरी नदी तक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कैम्प कोर्ट लगाना

*1667. श्री विनय बिहारी (क्षेत्र संख्या-05 लौरिया)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में अंचल परिसर में प्रतिमाह कैम्प कोर्ट लगाकर भूमि विवाद की सुनवाई एवं मामलों का निष्पादन करने का 1980 से 2010 तक व्यवस्था रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कैम्प कोर्ट के कारण भूमि विवाद के पीड़ितों को त्वरित लाभ प्राप्त होता था तथा भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगता था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक प्रत्येक माह में एक दिन सभी अंचलों में भूमि विवाद से संबंधित कैम्प कोर्ट नियमित रूप से संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ट्रीटमेंट प्लांटों को चालू करना

*1668. मो० सरवर आलम (क्षेत्र संख्या-55 कोचाधामन)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में 'हर घर नल-जल योजना' के तहत पाइप लाइन बिछाने और कनेक्शन देने का कार्य पूर्ण दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला के कई प्रखंडों में भू-जल में आयरन और आर्सेनिक की मात्रा मानक से काफी अधिक है तथा विभाग द्वारा लगाए गए वाटर प्यूरीफिकेशन प्लांट (आई०एम०आर०/ए०एम०आर०) रख-रखाव के अभाव में बंद पड़े हैं, जिससे आमजन दूषित पानी पीने को मजबूर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक किशनगंज जिला के सभी पंचायतों में इस योजना की 'वास्तविक कवरेज' का भौतिक सत्यापन कराने तथा बंद पड़े ट्रीटमेंट प्लांटों को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

एक्शन प्लान बनाना

*1669. श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह (क्षेत्र संख्या-223 औरंगाबाद)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला मुख्यालय

विधान सभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में ग्रीष्मकाल के दौरान भू-गर्भ जल स्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण क्षेत्र के अधिकांश चापाकल एव नल-जल बंद हो जाती है, जिससे परिणामस्वरूप आमजनता को पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार औरंगाबाद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न पेयजल संकट से निपटने हेतु कबतक विशेष कार्य योजना (Action Plan) बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति

*1670. श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र संख्या-56 अमौर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत बैसा अंचल में राजस्व कर्मचारियों के स्वीकृत पद 16 के विरुद्ध 09 राजस्व कर्मचारी एवं अमौर अंचल में राजस्व कर्मचारी के स्वीकृत पद 25 के विरुद्ध सिर्फ 08 राजस्व कर्मचारी ही कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्व कर्मचारियों के अभाव के कारण आमजनों को भूमि से संबंधित कार्य, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने में बहुत कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक उक्त अंचलों में स्वीकृत पद के अनुरूप राजस्व कर्मचारी नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*1671. श्री बीरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-139 रोसड़ा (अ० जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी नगर पंचायत में जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में गंभीर अनियमितताएं तथां सरकारी धन का दुरूपयोग पाया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मनिहारी नगर पंचायत से संबंधित जांच प्रतिवेदन के साथ कटिहार के जिलाधिकारी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को कार्रवाई हेतु पत्र (ज्ञापांक 1078, दिनांक 20 अक्तूबर, 2025) प्रेषित किया गया था, लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार द्वारा खण्ड (2) में वर्णित विषय पर आजतक कार्रवाई नहीं करने का क्या औचित्य है ?

चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना

*1672. डॉ. प्रकाश चंद्र (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के दाउदनगर अनुमंडल मुख्यालय में पशु चिकित्सालय अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल में लैब टेक्नीशियन, कॉल अटेंड हेतु वाहन, वैक्सीनेशन हेतु सरकारी कर्मी का घोर अभाव है तथा एक पशु चिकित्सक ही पदस्थापित हैं, जिससे पशुपालकों को इलाज एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त अस्पताल में संसाधन की कमी को दूर करते हुये अतिरिक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति सुनिश्चित कराना

*1673. श्री रोमित कुमार (क्षेत्र संख्या-233 अतरी)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अतरी विधान सभा क्षेत्र की कई पंचायतों में नल-जल के तहत बिछाई गई पाइप लाइन होने के बावजूद नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए निजी स्रोतो पर निर्भर रहना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विधान सभा क्षेत्र में लापरवाही के लिए जिम्मेदार एजेंसियों/अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के नल-जल योजना से वंचित पंचायतों में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती हैं ?

जलापूर्ति सुनिश्चित करना

*1674. श्री प्रमोद कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224 रफीगंज)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत जिला के मदनपुर प्रखण्ड के पिरवांव दक्षिणी उमंगा पंचायत जो पहाड़ी क्षेत्र है में नल-जल का कार्य अधूरा है, जो कार्य हुआ भी है उसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की है, जिससे नियमित जलापूर्ति नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करते हुये नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डी०ए०पी० तथा यूरिया खाद की आपूर्ति के संबंध

*1675. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में रबी एवं खरीफ फसलों के बुआई एवं पटवन के बाद डी०ए०पी० तथा यूरिया खाद की खपत ज्यादा होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि डी०ए०पी० एवं यूरिया खाद की जिला में प्रचूर मात्रा में उपलब्धता के बावजूद भी थोक एवं खुदरा बिक्रेताओं द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक मुहैया नहीं कराया जाता है, जिसके कारण किसानों द्वारा अधिक दामों पर उर्वरक खरीद कर उपयोग किया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराते हुये दोषी थोक एवं खुदरा बिक्रेताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पशु शेड का जीर्णोद्धार कराना

*1676. श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या-239 वारिसलीगंज)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखण्ड पकड़ीबरावां के पशु चिकित्सालय बढ़ौना का वर्ष 2025-26 में वर्षा के मौसम में आये आँधी-तुफान में पशु शेड का एस्बेस्टस शीट क्षतिग्रस्त हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पशु शेड टूट जाने से चिकित्सा हेतु लाये जाने वाले पशु एवं पशुपालकों को खुले आसमान में रहकर इलाज करवाना पड़ता है, जिससे बिमार पशुओं को एवं पशुपालकों को काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक पशु चिकित्सालय, बढ़ौना के क्षतिग्रस्त पशु शेड का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मेट्रो कनेक्टिविटी स्थापित करना

*1677. श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या-86 केवटी)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत पहला कोरिडोर लहेरियासराय स्टेशन से बेंता चौक, VIP रोड, दरभंगा जंक्शन होते दरभंगा एयरपोर्ट तक प्रस्तावित है, परन्तु केवटी प्रखंड जो दरभंगा एयरपोर्ट से मात्र 10 कि०मी० और सिंहवाड़ा प्रखंड जो प्रस्तावित AIIMS से महज 10 कि०मी० की दूरी पर है उसको नहीं जोड़ने से सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग मेट्रो परियोजना के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थल से मेट्रो का कनेक्टिविटी स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1678. श्री उपेन्द्र प्रसाद (क्षेत्र संख्या-225 गुरूआ)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता पाटलिपुत्र अंचल पटना नगर निगम के पत्रांक 1838, दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 द्वारा मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम को वार्ड नं० 02 के महावीर कॉलोनी अशोक झा के घर से विवेक कुमार के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण हेतु प्रशासनिक/निधि आवंटन की स्वीकृति भेजा गया था, जो अबतक लंबित है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक जनहित में वर्णित सड़क का प्रशासनिक स्वीकृति देते हुये निधि आवंटन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समुचित स्थान उपलब्ध कराना

*1679. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अतिक्रमण मुक्त अभियान से छोटे-छोटे वेंडर, सब्जी दुकानदारों का रोजगार प्रभावित होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ;

(3) क्या यह बात सही है सड़क किनारे नालों/नहरों पर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहने वाले भूमिहीनों को अतिक्रमण मुक्त अभियान से आवास की समस्या उत्पन्न हो गयी है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भूमिहीनों को बसेरा 2 अभियान के तहत भूमिहीनों को बसाने तथा वेंडरों एवं छोटे-छोटे दुकानदारों को व्यवसाय करने हेतु समुचित स्थान उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्य पूर्ण कराना

*1680. श्री रोहित पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिये स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत सरकार के द्वारा कुल 980 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्मार्ट सिटी को अधिक स्वच्छ, सुदंर एवं सुव्यवस्थित बनाये रखने हेतु सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराये जाने का सरकार का सख्त निर्देश है, परन्तु सभी परियोजनाओं की समीक्षात्मक बैठक नहीं किये जाने से कार्य की प्रमाणिकता तथा खर्च का आकलन एवं प्रगति की धीमी रफ्तार के कारण विकास कार्य अवरुद्ध पड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत सभी परियोजनाओं की कंडिकावार व्यय विवरणी सहित समीक्षात्मक बैठक निर्धारित कर ससमय कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जल मीनार को चालू करना

*1681. श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या-60 रूपौली)--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत प्रखंड भवानीपुर के पंचायत सुपौली वार्ड नं0 04 एवं पंचायत शहीदगंज वार्ड नं० 1, गनशैदा में हर घर नल का जल हेतु मिनी जल मीनार एवं पाइप लाइन का निर्माण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वार्ड में जल मीनार चालू नहीं होने से आमजनों को आयरन युक्त जल का सेवन करना पड़ रहा है, जिससे वे कई तरह के बिमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त वार्ड के मिनी जल मीनार को चालू कराने का रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क एवं नाला का निर्माण

*1682. श्री श्याम रजक (क्षेत्र संख्या-188 फुलवारी (अ०जा०))--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड नं० 30 के रामकृष्णा नगर स्थिति आदर्श बिहार कॉलोनी के रोड नं० 2 का 1400 फीट लंबा सड़क एवं नाला विगत 12 वर्षों से जर्जर स्थिति में हैं जबकि यह 109 घरों के आवागन का मुख्य सड़क है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उक्त सड़क एवं नाला का नवनिर्माण निर्माण कराने को विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मेला भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना

*1683. श्री कृष्ण कुमार ऋषि (क्षेत्र संख्या-59 बनमनखी (अ० जा०))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत जियनगंज में बिहार सरकार की भूमि कोसी माता का मेला के नाम से है, जिसका खाता नं० 776, खेसरा नं० 3250 एवं 3251 तथा रकबा 17 एकड़ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन पर विगत् 50 वर्षों से कोसी माता का मेला का आयोजन होते आ रहा है, परन्तु वर्तमान में मेला भूमि का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे मेला आयोजन में कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कोसी माता मेला भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए मेला का सफल आयोजन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

*1684. श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र संख्या 155 कहलगाँव) क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव नगर पंचायत एवं कहलगाँव प्रखंड के भोलसर तथा एकचारी पंचायत में शुद्ध पेयजल का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायतों के जल संकट को दूर करने हेतु गंगा जल को फिल्टर कर पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद की आपूर्ति

*1685. श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र संख्या-91 बोचहां (अ० जा०))--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत बोचहां विधान सभा क्षेत्र में किसानों को यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण उनके उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बोचहां में यूरिया एवं डीएपी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ? ;

सरकारी जमीन उपलब्ध करना

*1686. श्री सुभाष सिंह (क्षेत्र संख्या-101 गोपालगंज)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के गोपालगंज एवं मांझा अंचल अंतर्गत सारण नहर की पटरी पर गंडक नदी के कटाव से विस्थापित 600 भूमिहीन परिवार पिछले 40 वर्षों से बसे हैं तथा इसी पटरी से छवही-कबिलसवा-चौराव बाइपास गुजर रहा है, जिस कारण पटरी पर बसे भूमिहीनों को नहर की पटरी खाली करने का आदेश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नहर पर बसे उक्त 600 परिवारों को बसाने हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे उनके सामने आवास का संकट उत्पन्न हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त विस्थापित परिवारों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर बरसाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

न्यूनतम मजदूरी एवं बकाया राशि का भुगतान

*1687. श्री अजय कुमार (क्षेत्र संख्या-138 विभूतिपुर-)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत एस०एफ०सी० गोदाम में संवेदक द्वारा सरकार को घोषित न्यूनतम मजदूरी और ई०पी०एफ० की राशि का भुगतान मजदूरों को खाते में नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा प्रति बोरी 11 रूपये 55 पैसे निर्धारित पारिश्रमिक के बदले मजदूरों को सिर्फ 3 रूपये 30 पैसे ही भुगतान किया जा रहा है तथा वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में नियोक्ता द्वारा ई०पी०एफ० की राशि भी मजदूरों के खाते में जमा नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक प्रति बोरी 11 रुपये 55 पैसे न्यूनतम मजदूरी भुगतान सुनिश्चित कराते हुये बकाया ई०पी०एफ० की राशि मजदूरों के खाते में जमा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वरीयता अनुरूप पदस्थापन करना

*1688. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या-117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि परियोजना निदेशक बिहार लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी, पटना का प्रभार एक कनीय अधिकारी को दिया गया है, साथ ही वित्तीय अधिकार भी सौंपे गए हैं, जबकि विभाग में कई वरीय पदाधिकारी पदस्थापित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा कई कनीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति वरीयता क्रमांक का उल्लंघन करते हुए लेवल 11, 12 एवं 13 के वरीय/दायित्वों पर की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक विभाग में वरीयता सूची के अनुरूप पदस्थापन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1689. श्रीमती विभा देवी (क्षेत्र संख्या-237 नवादा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड नवादा के प्रसाद बिघा स्थित कन्या मध्य विद्यालय के सामने स्थित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दुकान निर्माण कर किसी खास व्यक्ति को मालिकाना हक जिला प्रशासन दे रखा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार अवैध कब्जाधारी एवं दोषी पदाधिकारी के खिलाफ जांच कराते हुए कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ एवं नाला निर्माण

*1690. श्रीमती मनोरमा देवी -(क्षेत्र संख्या-232 बेलागंज)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गयाजी जिला मुख्यालय नगर निगम अन्तर्गत वार्ड संख्या 5 में कंडी नवादा से गया चाकंद पथ के बीच मध्य विद्यालय के नजदीक से रविंद्र यादव के घर तक 1 किलो मीटर सड़क जर्जर एवं नाला विहिन है, जिससे हजारों की आबादी को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त सड़क का नाला सहित निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सौंदर्यीकरण कराना

*1691. श्री सियाराम सिंह (क्षेत्र संख्या-179 बाढ़)--क्या मंत्री,नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला अन्तर्गत बाढ़ नगर परिषद् क्षेत्र के गंगा नदी तट अवस्थित पोस्ट ऑफिस घाट एवं संगत घाट का निर्माण नहीं होने के कारण आमजनता को गंगा स्नान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त घाटों का निर्माण सहित सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चादरों की नापी

*1692. श्री सिद्धार्थ सौरव (क्षेत्र संख्या-191 विक्रम)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत अंचल-सुल्तानगंज स्थित तिलकपुर मौजा के छः चादरों की नापी हेतु अपीलीय प्राधिकार-सह-जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक 2441, दिनांक 20 अक्टूबर, 2023, अन्यन सं० 42211010912203003/2A एवं अपर समाहर्ता के पत्रांक 5179, दिनांक 09 दिसम्बर, 2023 और 236, दिनांक 08 जनवरी, 2024 के बावजूद वर्तमान समय तक अंचलाधिकारी सुल्तानगंज द्वारा उक्त चादरों का पैमाईस नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त चादरों का पैमाईस नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 19 फरवरी, 2026 (ई०)।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

वि०स०मु० 35 (एल०ए०), 2025 26 डी०टी०पी० 600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026